दिनांक 07.10.2025 "स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई"

निगम द्वारा अवैध नल कनेक्शन पाये जाने पर विच्छेदन की कार्यवाही की जाएगी

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में महापौर परिषद की बैठक दिनांक 29.08.2025 को सर्व सम्मति से यह संकल्प पारित किया गया था, कि निगम क्षेत्र के अवैध नल कनेक्शनधारी 31 अक्टूबर 2025 के भीतर जोन कार्यालय में जाकर नल संयोजन शुल्क तथा शास्ति शुल्क 3000.00 रूपये जमा कर अपने अवैध नल कनेक्शन को नियमित करा सकेगें। निगम द्वारा दिए गए समय पर जिन नल कनेक्शनधारियों द्वारा शुल्क जमा नहीं किये हैं और नल कनेक्शन नियमित नहीं कराए है। उन सभी कनेक्शनधारियों के घरो का सर्वे कर जांच की जाएगी। जांच में यदि अवैध नल कनेक्शन पाया जाता है, तो बिना पूर्व सूचना दिये नल विच्छेदन की कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी स्वयं जल उपभोक्ता की होगी।